संख्याः7/2018/236/तीस-1-2018-5(2)/2015टीसी

प्रेषक,

डा0 राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 05 मार्च,2018

विषयः बस स्टेशन मुबारकपुर जनपद-आजमगढमें उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयपर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1039बी/डीए/पूर्व/17-59जेईटी/वि०/14-15, दिनांक 26.12.2017के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/509/तीस-1-2015-5(2)/2015टी.सी., दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा बस स्टेशन मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के निर्माण हेतु रू० 457.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू० 200.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी थी और उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-43/2015/1475/तीस-1-2015-5(2)/2015टी.सी., दिनांक 09.12.2015 द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू० 257.41लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू० 457.41 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू० 602.78 लाख की लागत का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत हेतु उपलब्ध कराया गया है। उक्त पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षण किया गया और प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त कार्य की पुनरीक्षित लागत रू० 567.49 लाख आंकलित की गयी है।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2017 द्वारा बस स्टेशन मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 110.08 लाख में से पुनरीक्षित आगणन

http://shasanadesh.up.nic.in

लागत में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य की लागत रू० 22.76 लाख को घटाते हुए रू० 87.32 लाख (रू० सत्तासी लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु रू० 567.49 लाख की लागत के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा पुनरीक्षित आगणन की धनराशि रू० 567.49 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त कुल धनराशि रू० 457.41 लाख के बीच अंतर की धनराशि रू0 110.08 लाख में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य की लागत रू० 22.76 लाख को घटाते हुए रू० 87.32 लाख (रू० सत्तासी लाख बत्तीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजना को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(2) उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(3) भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। भवन निर्माण सामग्री की अनुपातिक मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। उक्त कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/विरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ का होगा।

(6) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

(7) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-9/509/तीस-1-2015-5(2)/2015टीसी, दिनांक 26मार्च, 2015 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

(10) यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशा0संख्या-ई-9-36/दस-2018 दिनांक 16 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०
(डा0 राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः7/2018/236/तीस-1-2018तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4.प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ ।
6.वित्त नियन्त्रक,परिवहन आयुक्त,कार्यालय लखनऊ।
7.वित्त नियन्त्रक,उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8.वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ ।
9.नियोजन अनुभाग-4 ।
10.वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11.निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
12.गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in